

आदेश

बन्दोबस्त पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक- 962/बन्दो0 दिनांक 19.11.2021 के द्वारा मो0 सादिक आलम, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (ID No.-SKN00654) के विरुद्ध अनाधिकृत रूप से शिविर कार्यालय एवं अपने कार्यक्षेत्र से अनुपस्थित रहने का आरोप लगाते हुए संविदा अनुबंध रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

उक्त संसूचित अनुशंसा के आलोक में निदेशालय पत्रांक- 15731/2022 दिनांक 07.01.2022 द्वारा मो0 सादिक आलम, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने एवं संविदा नियोजन समाप्ति अनुशंसा के विरुद्ध तीन (03) दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।

प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई, समीक्षोपरांत पाया गया कि इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। इनके द्वारा अपनी अनाधिकृत अनुपस्थिति एवं कार्य प्रभावित होने के आरोप के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त कर्मी को अपने संविदा नियोजन एवं सरकारी दायित्वों के प्रति कोई रुचि नहीं है। इनके द्वारा की गई कृत्य कर्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। साथ ही वरीय पदाधिकारियों द्वारा इनके विरुद्ध दी गई सूचना की सम्पुष्टि होती है।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसके लिए योजना की अवधि निर्धारित है। इनके इस तरह के कृत्य से भू-सर्वेक्षण कार्य पर दुप्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया जाता है।

अतएव "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली- 2019" के नियम 8(4) के तहत बन्दोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मो0 सादिक आलम, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (ID No.-SKN00654) का संविदा अनुबंध आदेश निर्गत की तिथि से रद्द किया जाता है।

Signed by Jai Singh

Date: 12-04-2022 17:22:11

(जय सिंह)
निदेशक
Reason: Approved

भू-अभिलेख एवं परिमाप

प्रतिलिपि :-

1. बन्दोबस्त पदाधिकारी, सुपौल को उनके पत्रांक- 962/बन्दो0 दिनांक 19.11.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. मो0 सादिक आलम, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (ID No.-SKN00654) बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल, E-mail : hena@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी आई0 टी0 कोषांग, भू-अभिलेख एवं परिमाप को सूचनार्थ एवं निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।